



98

समक्ष : न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.गवालियर

प्र.कं. निगरानी / 1/2016 तिता - २८४९-२१६

दिनांक द्वितीय, काला
२५-८-१६

कमलेश पुत्र हजारी जाति मेहतर
उम्र 45 वर्ष निवासी कर्सा बडौदा
तह.बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

प्रेम पुत्र बाबू दत्तक पुत्र सीताराम
उम्र 32 वर्ष जाति मेहतर निवासी
कर्सा बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

.....गैरनिगरानीकर्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959
विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार महोदय बडौदा के प्र.कं.
14/15-16/अ-6 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 18.07.
2016 से व्यथीत होकर।

गान्यवर महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार
प्रस्तुत है:-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

यह कि ग्राम बडौदा की भूमि सर्वे कमांक 4073 रकवा 0.428 है. सर्वे कमांक 4122/3 रकवा 0.418 है., सर्वे कं. 4123/1 रकवा 0.533 है., सर्वे कं. 4125 रकवा 0.251 है. सर्वे कं. 4127/1 रकवा 0.972 है., सर्वे कं. 4172/2 रकवा 0.993 है. कुल तिं 6 कुल रकवा 3.595 है. आवेदक की बुआ कैलाबाई के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। तथा आवेदक की बुआ की मृत्यु दिनांक 01.09.11 को हो गई थी इसके उपरांत अनावेदक द्वारा पॉच वर्ष पश्चात दिनांक 28.01.16 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडौदा के समक्ष गोदनामा के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि का नामांतरण अनावेदक के पक्ष में करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्र.कं. 14/15-16/अ-6 पर दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की एवं इश्तहार जारी किया गया। उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण की प्रचलनशीलता पर दिनांक 28.06.16 को आपत्ति प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेश पत्रिका पर लेते हुये अनावेदक के जवाब हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 18.07.2016 की आदेश पत्रिका में अनावेदक द्वारा आपत्ति के जवाब देने का उल्लेख किया है, परन्तु आपत्ति का निराकरण नहीं किया है और प्रकरण को साक्ष्य हेतु नियत कर दिया जिससे

कमंशः.....2

२४३०
२४
कार्यपालिका
श्योपुर (म०प्र०)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2849-एक/16

जिला - श्योपुर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला श्योपुर</u></p>	